न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 481/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. जैताराम पुत्र चैनाराम सुथार निवासी– ग्राम जलंधरनगर, तहसील बालेसर, जोधपुर।		1. फुली पुत्री जुगताराम पत्नी हिमताराम सुथार निवासी– जलधंरनगर, हाल निवासी शेरगढ जोधपुर 2. जसराज पुत्र कुंभाराम (तथाकथित गोदपुत्र खम्मादेवी पत्नी जुगताराम) निवासी– ग्राम जलंधरनगर, तहसील बालेसर, जोधपुर। 3. भंवरीदेवी पुत्री चैनाराम 4. कुम्भाराम पुत्र चैनाराम 5. अन्तरोंदेवी पत्नी चैनाराम निवासी– ग्राम जलंधरनगर, तहसील बालेसर, जोधपुर। 6. किरण पुत्री बलाराम पत्नी राजूराम निवासी–ग्राम चिडवई तहसील बालेसर 7. तारा पुत्री बलाराम पत्नी प्रकाश 8. निरमा पुत्री बालाराम पत्नी मोतीराम निवासी– ग्राम ढाढणिया तहसील बालेसर 9. ग्राम पंचायत बालेसर जरिये सरपंच 10. बालाराम पुत्र चैनाराम 11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2022 को राजस्व अपील संख्या 96/2021 अनवान फुली वगैराह बनाम भंवरी वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी,, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री मालमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से
4– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक जनवरी, 2024

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जलंधनगर के ख0सं0 1363, 1364, 1391 में रेस्पोडेन्ट के पिता जुगताराम का 1/2 हक–हिस्सा था। जुगताराम के देहान्त होने पर जुगताराम के छोटे भाई चैनाराम के नाम नामा0 सयंख्या 105 स्वीकार कर दिया। जबकि रेस्पो0 संख्या 1 जुगताराम की पुत्री तथा रेस्पो0 संख्या 2 खम्मादेवी पत्नी जुगताराम का गोदपुत्र है।

उपरोक्त प्रथम अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस पक्षकारान को नोटिस जारी कर तलब किया परन्तु उन रेस्पोडेन्टस के सम्मन तामील नहीं हुए। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट एवं अन्य दीगर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जरिये डाक से भेजने का कोई आदेश पारित नहीं किया। तामील पूर्ण नहीं होने के बावजूद दिनांक 21.06.2022 को एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए नामा0 संख्या 105 दिनांक शून्य को निरस्त कर तहसीलदार बालेसर को स्व0 जुगताराम के विधिक उत्त्राधिकारियों की जांच कर पुनः नामा0 की कार्यवाही करने आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21.06.2022 के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 21.8.22 को अपीलान्ट को बताया कि अधीनस्थ न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला हो गया है और हमारे नाम नामा0 तहसीलदार दर्ज कर देगा। तब अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से मार्फत मालूम करवाया गया तब अपीलाधीन आदेश पारित होने की जानकारी हुई जिसकी दिनांक 23.8.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुए यह अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित की जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के आधार पर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दिनांक 26.10.2021 को दर्ज करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दियां अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.5.22 को रेस्पोडेन्टस द्वारा ओर से पोस्टल रसीदात प्रस्तुत की एवं दिनांक 7.6.2022 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस के विरूद्ध एक पक्षीय अमल में लाई गई तथा दिनांक 21.6.2022 को आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/पक्षकारान इत्यादि को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय को सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देना होता है। इस आधार पर दिनांक 21.06.2021 को एकपक्षीय आदेश काबिल निरस्त के है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1,2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 54 वर्ष पश्चात अपीलाधीन नामा0 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी। रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा अपीलाधीन नामा0 के विरूद्ध पेश प्रथम अपील के संलग्न देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में कोई उचित कारण नहीं दर्शाये थे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी म्याद प्रार्थना पत्र को निस्तारण किये बिना ही तथा प्रकरण पर गुणावगुण पर गौर किये बिना ही अपील को निस्तारित कर दिया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने को जुगताराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दू पर किसी प्रकार का गौर किये व बिना जॉच करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 105 को निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 2 को खम्मा पत्नी जुगताराम के द्वारा दिनांक 18.8.15 को गोद लेने का कथन किया है यदि रेस्पो0 संख्या 2 जसराज को दिनांक 18.8.15 को गोद लिया गया तो रेस्पो0 संख्या 2 जसराज 54 वर्ष पहले जुगताराम का प्रथम श्रेणी का वारिस किस आधार पर हुआ। गोदनामा दिनांक 18.8.15 को रजिस्टर्ड करवाया गया। जसराज के द्वारा शादी के छपवाये कार्ड में अपने पूर्व पिता एवं माता का ही नाम लिखवाया गया न कि गोदमाता खम्मादेवी/जुगताराम का नाम लिखवाया गया था, ऐसे में गोदनामा को सही नहीं माना जा सकता है और न ही गोदनामें के आधार पर वह जुगताराम के खातेदारी रकबा भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की कोई आधिकारिता रखता है। अगर उसे खातेदार जुगताराम क विधिक वारिसान के रूप में हक–हिस्सा प्राप्त करने का अनुतोष चाहते है तो वह सक्षम न्यायालय में नियमित दावा प्रस्तुत कर अधिकार तय करवाते। नामा0 कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिक बिन्दू पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया और विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है जिसे निरस्त किया जावें। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की द्वितीय अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2022 को निरस्त करते हुए नामा0 संख्या 105 को यथावत बहाल किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1,2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वक्त सेटलमेन्ट से ख0सं0 1363, 1364, 1391 की रकबा भूमि ग्राम जलधंरनगर में रेस्पोडेन्ट के पिता जुगताराम पुत्र सांवताराम के नाम से संयुक्त खातेदारी में आई हुई थी। खातेदार जुगताराम पुत्र सांवताराम के देहान्त उपरान्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 105 जो उनके भाई चैनाराम के नाम ग्राम पंचायत बालेसर के द्वारा वर्ष 1966 को स्वीकृत कर दिया। जिसमें कॉलम संख्या 14 में यह अंकित किया कि "जुगताराम के फौत होने से उसके वारिस छोटे भाई चैना के नाम म्यूटेशन दर्ज किया गया।" ग्राम पंचायत के द्वारा जुगताराम के बिना विधिक वारिसानों की जॉच किये ही जॉच का अंकन सही लगाकर नामा0 स्वीकृति हेतु पेश कर दिया जबकि जुगताराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं विधिक वारिसान के रूप उनकी पुत्री फुलीदेवी, उनकी पत्नी खम्मा भी तत्समय में जीवित थी। स्व0 जुगताराम के कोई पुरूष सन्तान नहीं थी, इस कारण चैनाराम के द्वारा मिलीभगत करते हुए अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया। जुगताराम के फौतेदगी नामा0 में अंकित व्यक्ति जुगताराम के भाई है। जुगताराम के वारिसान के रूप में उनकी पुत्री के जीवित होते हुए भी अन्य व्यक्तियों के नाम नामा0 दर्ज कर स्वीकृत कर दिया जबकि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फुली स्व0 जुगताराम के वादग्रस्त खसरान भूमि में 1/2 हक–हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम एवं राज0 लैण्ड रिकार्ड रूल्स में दिये गये निर्देशों एवं नियमों का कतई पालन नहीं किया और नामा0 स्वीकृत करते हुए स्व0 जुगताराम के समस्त विधिक वारिसान की जॉच नहीं की और न ही उत्तराधिकारियों को विधिवत नोटिस जारी कर उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 निरस्त करने योग्य ही था।

रेस्पो0 संख्या 1, 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 जुगताराम का गोदपुत्र है जिसको उनकी माता खम्मा ने अपने जीवन काल में दिनांक 18.8.15 को जरिये पंजीबद्ध गोदनामा करवा कर गोद पुत्र के रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार जुगताराम के विधिक वारिस उनकी पत्नी, पुत्री व गोद पुत्र प्रथम श्रेणी के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वारिस है। तत्समय में उनके पिता के भाई श्री चैनाराम के द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगती करते हुए अपने को जुगताराम का एकमात्र वारिस बताते हुए अपने नाम से नामा0 स्वीकृत करवा लिया।

अपीलाधीन नामा0 संख्या 105 जो पूर्ण रूप से बिना वारिसान की जॉच किये तथा एकपक्षीय रूप से बिना जॉच किये स्वीकृत किया गया था और जो प्रारम्भ से प्रभाव शुन्य आदेश था, को निरस्त करवाने हेतु किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही में म्याद सम्बन्धी सीमा आडे नहीं आती है, उसे कभी भी सक्षम स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस प्रकार के प्रकरणो को म्याद बाधित नहीं माना है। ऐसे में अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि उनकी अपील म्याद बाहर पेश की गई थी, के कथन को स्वीकार करने योग्य नहीं बनता है तथा गोदनामा पंजीबद्ध होने के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में हुए गोदनामें के आधार पर वह खम्मा का गोदपुत्र बन गया है जिसके भी वादग्रस्त भूमि में विधिक तौर पर बेटे के रूप में हक–अधिकार बनते है और वह हक–हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दर्ज होने के उपरान्त सभी रेस्पोडेन्टस को न्यायालय की ओर से विधिवत नोटिस जारी किये गये थे जिनकी पर्याप्त रूप से तामील करवाई गई थी और उनको सूचना होने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को स्व0 जुगताराम के उत्तराधिकारियों की जॉच कर नामा0 करने हेतु रिमाण्ड ही किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है जो बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 संख्या 105 के कॉलम संख्या 14 में ''जुगताराम के फौत होने से उसके वारिस छोटे भाई चैना के नाम म्यूटेशन दर्ज किया गया।'' जो लगभग वर्ष 1966 में स्वीकृत किया जाना प्रकट है। उक्त नामा0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से लगभग 55 वर्ष की लम्बी अवधि बाद प्रथम अपील पेश की गई जिसका भी कोई समुचित एवं संतोषनजक कारण म्याद प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वारिस है। तत्समय में उनके पिता के भाई श्री चैनाराम के द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगती करते हुए अपने को जुगताराम का एकमात्र वारिस बताते हुए अपने नाम से नामा0 स्वीकृत करवा लिया।

अपीलाधीन नामा0 संख्या 105 जो पूर्ण रूप से बिना वारिसान की जॉच किये तथा एकपक्षीय रूप से बिना जॉच किये स्वीकृत किया गया था और जो प्रारम्भ से प्रभाव शुन्य आदेश था, को निरस्त करवाने हेतु किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही में म्याद सम्बन्धी सीमा आडे नहीं आती है, उसे कभी भी सक्षम स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस प्रकार के प्रकरणो को म्याद बाधित नहीं माना है। ऐसे में अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि उनकी अपील म्याद बाहर पेश की गई थी, के कथन को स्वीकार करने योग्य नहीं बनता है तथा गोदनामा पंजीबद्ध होने के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में हुए गोदनामें के आधार पर वह खम्मा का गोदपुत्र बन गया है जिसके भी वादग्रस्त भूमि में विधिक तौर पर बेटे के रूप में हक–अधिकार बनते है और वह हक–हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दर्ज होने के उपरान्त सभी रेस्पोडेन्टस को न्यायालय की ओर से विधिवत नोटिस जारी किये गये थे जिनकी पर्याप्त रूप से तामील करवाई गई थी और उनको सूचना होने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को स्व0 जुगताराम के उत्तराधिकारियों की जॉच कर नामा0 करने हेतु रिमाण्ड ही किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है जो बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 संख्या 105 के कॉलम संख्या 14 में ''जुगताराम के फौत होने से उसके वारिस छोटे भाई चैना के नाम म्यूटेशन दर्ज किया गया।'' जो लगभग वर्ष 1966 में स्वीकृत किया जाना प्रकट है। उक्त नामा0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से लगभग 55 वर्ष की लम्बी अवधि बाद प्रथम अपील पेश की गई जिसका भी कोई समुचित एवं संतोषनजक कारण म्याद प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अंकित नहीं किया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त म्याद अवधि के सम्बन्ध में न तो कोई विवेचन किया गया है और न ही उक्त म्याद प्रार्थना पत्र को निर्णित किया गया है जबकि अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व म्याद को निर्णित किया जाना आवश्यक होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रथम अपील में रेस्पोडेन्टस की तामीली सम्बन्धी विधिवत कार्यवाही का अभाव पाया गया है तथा तामीली कार्यवाही के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार किया गया है उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नामा0 कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिसके जरिये कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को चाहिये था कि मृतक खातेदार जुगताराम के हक–हिस्से वाली वादग्रस्त भूमि में अपना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हक–हिस्सा प्राप्त करने हेतु नियमित वाद के जरिये अनुतोष करने की कार्यवाही करते। उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस को अपना–अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 05 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर